दिनांक 07.07.2018 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण व अन्य योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजीकृत –

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखण्ड समन्वयक (PMAY-G) का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई –

पंचायत भवन की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्डों में लम्बित पंचायत भवनों के टेंडर से संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया है। लम्बित पंचायत भवनों का अद्यतन प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। बगोदर प्रखण्ड के जरमुने पंचायत भवन के निर्माण के संबंध में निदेश दिया गया कि चेकस्लिप में वास्तविकता को स्पष्ट कराया जाय कि जंगलझाड़ गैरमजरूआ जमीन है, पेड़ नहीं है। इसके बाद ही कार्य शुरू करने का निदेश दिया गया।

PMAY-G

प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति नहीं होने पर रोष व्यक्त किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा FTO नहीं होने की समस्या बतायी गयी।

इंदिरा आवास में MIS और FTO नहीं होने पर लाभुकवार RTGS/Offline भुगतान करने का निदेश दिया गया। बेंगाबाद BC के द्वारा जियो टैग में Stage Page में अपडेट करने के बाद आगे Process नहीं होने की समस्या बतायी गयी। तिसरी BC के द्वारा कुछ योजनाओं का जियो टैग नहीं होने की समस्या बतायी गयी। Scheme Close करने में समस्या आने पर पुराने Version में जियो टैग कर Close करने का निदेश दिया गया। प्रखण्ड, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड, सरिया को लम्बित योजनाओं को 15 दिनों के अन्दर पूर्ण करने का निदेश दिया गया। क्षेत्रीय कर्मियों को लम्बित आवास की पंजी रखने एवं आवास पूर्ण होने पर पंजी में चिन्हित करने का निदेश दिया गया।

प्रखण्ड बेंगाबाद में मेसन प्रशिक्षण का कार्य 30 जून तक होना था जो अब तक अपूर्ण है। संबंधित एजेन्सी को 20 जुलाई तक प्रशिक्षण पूर्ण करने का डेडलाईन दिया गया है। अन्यथा एजेन्सी को भुगतान पर 10% राशि की कटौती की

जायेगी। गाण्डेय प्रखण्ड में एजेन्सी का कार्य संतोषप्रद नहीं है। छत ढलाई में छज्जा बाहर नहीं निकाला गया है। Training Assessment के बाद ही भुगतान करने का निदेश दिया गया।

RPA के तहत् प्रशिक्षण 45 दिन के स्थान पर 10 दिन में दिया जाना है। प्रशिक्षु को 268/- रू0 प्रतिदिन मिलेगा। प्रशिक्षण में ले-आउट, रूफ कास्टिंग आदि की जानकारी दी जायेगी। बैच में 30 प्रशिक्षु रहेंगे।

तिसरी BC को गाँवों का प्रभार देने का निदेश दिया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को प्रधानमंत्री आवास में एक-एक लाभुकवार समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

धनवार प्रखण्ड में लाभुक नहीं रहने के कारण ST का लक्ष्य वापस करने का निदेश दिया गया। बगोदर BC को SC, ST का लक्ष्य Interchange करने का निदेश दिया गया। बेंगाबाद प्रखण्ड में खण्डोली के पास SECC Data में छुटे हुए ST को आवास का लाभ दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

MGNREGA

मनरेगा योजना समीक्षा के क्रम में सामाजिक अंकेक्षण का ATR तैयार कर विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। पंचायत स्तर पर सभी मामले की सुनवाई का वर्णन प्रतिवेदन में करने का निदेश दिया गया। प्रखण्ड स्तर पर अनुपालन की इन्ट्री करने एवं अनुपालनीय बिन्दु पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

बागवानी योजना की समीक्षा में सरिया प्रखण्ड की स्थिति चिन्ताजनक पायी गयी। सरिया, बिरनी, धनवार एवं देवरी प्रखण्ड को बचे हुए पिट की खुदाई पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

आँगनबाड़ी समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले का लक्ष्य 1351 के विरूद्ध 821 ही पूर्ण किये गये हैं। लम्बित आँगनबाड़ी केन्द्रों को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। आँगनबाड़ी निर्माण मद में बचे हुए अतिरिक्त राशि को वापस करने का निदेश दिया गया।

Delay Payment की समीक्षा के क्रम में बेंगाबाद में 51, देवरी-07, डुमरी-03 एवं गिरिडीह में 29 योजना 15 दिनों से अधिक लम्बित पाये गये हैं जिसमें अविलम्ब भुगतान करने का निदेश दिया गया।

जियो टैग की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि योजनावार सभी योजनाओं का जियो टैग करना सुनिश्चित करें।

अन्त में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।

निदेशक
डी0आर0डी0ए0
गिरिडीह।

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1940 /अभि0,गिरिडीह, दिनांक 14 अगस्त, 2018

प्रतिलिपिः- संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि सभी प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

परियोजना पदाधिकारी,
डी0आर0डी0ए0,
गिरिडीह।

निदेशक
डी0आर0डी0ए0
गिरिडीह।

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।